

अपर समाहर्ता का न्यायालय, दुमका ।

रे0मि0 रिवीजन सं0 20/11-12

लखन महतो.....आवेदक

बनाम

आनन्दी सिंह.....विपक्षी

।।आदेश।।

22/11/17


उभय पक्षों की उपस्थिति नहीं है

अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उभय पक्षों की कहीं कहीं तिथियों से न्यायालय में बिना कारण बताए अनुपस्थित है, उभय पक्षों पर निर्गत नोटिस का तामिला प्राप्त है। इसके प्रश्चात् भी उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उभय पक्षों के अभिरुचि के अभाव को देखते हुए वाद की कार्रवाई बिना विचारण समाप्त किया जाता है।

लेखापित


अपर समाहर्ता,
दुमका ।


अपर समाहर्ता,
दुमका ।